संख्या 8(11)/(संस्था. II–क)/09

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

<u>संस्था. II–क शाखा</u>

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 17 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– **लेखापरीक्षा के लिए स्वायत्तशासी निकायों द्वारा वार्षिक लेखों को समय पर प्रस्तुत करने के बारे में।**

अधोहस्ताक्षरी को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.), 2005 के **नियम 211** के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसके अनुसार *"जब कभी संस्थान या संगठन से निरीक्षण या लेखापरीक्षा करवाने के लिए कहा जाए तो सभी अनुदान ग्राही संस्थानों या संगठनों के लेखे, मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और लेखापरीक्षा के लिए खुले रहेंगे, दोनों की सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 के उपबंध के तहत् भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा और मंत्रालय या विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी और सहायता अनुदान मंजूर करने वाले सभी आदेशों में अनिवार्य रूप से इस आशय का एक उपबंध अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए।"*

2. इस संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने सूचित किया है कि काफी बड़ी संख्या में स्वायत्तशासी निकाय अपनी रिपोर्टें लेखापरीक्षा के लिए जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हो रहा है। इसके अलावा, कई सारे स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। स्वायत्तशासी निकाय जिन्होंने अपने लेखे (2006–07) के लिए तीन माह से अधिक की देरी से प्रस्तुत किए उनकी सूची संदर्भ के लिए संलग्न है।

3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1976 में सदन में प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट के दस्तावेजों में की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय को लेखा वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर अपना लेखा कार्य पूरा करने के पश्चात उसे लेखापरीक्षा के लिए भेज देना चाहिए। लेखों की लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा आपत्तियां, यदि कोई हों, के उत्तर अनुवाद सहित प्रस्तुत करने तथा रिपोर्टों का मुद्रण कार्य अगले छह माह के भीतर पूरा कर लें जिससे कि रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखे सदन में लेखा वर्ष समाप्त होने के नौ माह के भीतर प्रस्तुत किए जा सकें। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक समय–सारिणी तैयार की गई जिसमें यह अनुबंधित किया गया कि

संबंधित मंत्रालयों/स्वायत्तशासी निकायों को 31 अक्तूबर के अंत तक लेखापरीक्षित रिपोर्टें जारी कर दी जाएं तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों को सदन में 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर दिया जाए।

4. तद्नुसार, मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नियत समयावधि के दौरान लेखे प्रस्तुत करने के अनुदेश दें।

एस. कृष्णमूर्ति

(एस. कृष्णमूर्ति)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 2309 5634

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव एवं वित्तीय सलाहकार।

तीन माह की देरी के पश्चात वर्ष 2006-07 के लिए लेखों को प्रस्तुत करने वाले निकायों की सूची

क्र.सं.	स्वायत्तशासी निकायों के नाम	लेखों को प्रस्तुत करने की तारीख
1.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर	01.10.2007
2.	भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान, मुंबई	03.10.2007
3.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	04.10.2007
4.	असम विश्वविद्यालय	05.10.2007
5.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	08.10.2007
6.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	08.10.2007
7.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	11.10.2007
8.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	12.10.2007
9.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	16.10.2007
10.	श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	17.10.2007
11.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारत्ती	18.10.2007
12.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	19.10.2007
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	22.10.2007
14.	दिल्ली विश्वविद्यालय	23.10.2007
15.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	26.10.2007
16.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	27.10.2007
17.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	29.10.2007
18.	मणिपुर विश्वविद्यालय	29.10.2007
19.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली	31.10.2007
20.	नियोजन एवं स्थापत्य विद्यालय, नई दिल्ली	01.11.2007
21.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	06.11.2007
22.	भारतीय वन्यजीवन संस्थान, देहरादून	06.11.2007
23.	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग	10.11.2007
24.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, वड़ोदरा	13.11.2007
25.	पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड	14.11.2007
26.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	14.11.2007
27.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	14.11.2007
28.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	19.11.2007
29.	आई.आई.टी.- रुड़की	27.11.2007
30.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	17.12.2007
31.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	26.12.2007
32.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	26.12.2007
33.	पूर्वीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	08.01.2008
34.	नेहरू स्मृति संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली	09.01.2008
35.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	11.01.2008
36.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना तथा विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	24.01.2008
37.	बहु अपंगता से ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई	28.01.2008
38.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा संस्थान, शिलांग	04.03.2008
39.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	25.03.2008
40.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	26.03.2008
41.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	26.03.2008
42.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	07.04.2008

43.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	08.04.2008
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	23.04.2008
45.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	09.06.2008
46.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	17.06.2008
47.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	03.07.2008
48.	राष्ट्रीय विधि सेवाएं प्राधिकरण	08.10.2008
49.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	31.12.2008

निकायों की सूची जिनके खाते दिसम्बर, 2008 तक प्राप्त नहीं हुए थे

1.	भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रतियोगिता आयोग – सांस्थानिक विकास कोष, नई दिल्ली
3.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
4.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय हज समिति, मुंबई
6.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण
7.	तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण, चेन्नई
8.	नगर पालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर
9.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता